

को. सं. ११

मालिका सं. दि. सं. सं.

२०१६/१५

गैर

1415/22 परापूर्णी राठोड़ीय लोक अदालत में
 प्रस्तुत है। वहील प्रथी वरु अपने
 वरु को खलासा नही करता है। प्रथी
 वरु NO + Press किया। अहः प्रथी
 वरु पर को लोक अदालत में आवना
 है - NO + Press के खारिज किया जाता है।
 परापूर्णी वरु फैसल दिये गए है।

Not press

(R) 8/15/16

उपरखण्ड अधिकारी
 लालसोट जिला डीसा (राज.)